आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय, श्रीमती मनीषा तिर्की, विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।

एस०ए०आर० वाद सं०-02/2021-22

(1) मनु उराँव, वो (2) जगरनाथ उराँव, पिता स्व. एतवा उराँव, निवास ग्राम-चंदाघासी, थाना-जगरनाथपुर, जिला राँची। ...प्रथम पक्ष गण।

बनाम

(1) दिनेश मोहन्ती, (2) सुरेश मोहन्ती, (3) दिपक मोहन्ती, (4) बिमला कुमारी सभी के पिता स्व. सुरेन्द्र नाथ मोहन्ती, सभी निवास ग्राम-नीचे हटिया मोहन्ती बाडी, थाना-जगरनाथपुर, जिला राँची। ...... द्वितीय पक्ष गण।

आदेश

28-10-22

प्रथम पक्ष (1) मनु उराँव, वो (2) जगरनाथ उराँव, पिता स्व. एतवा उराँव, निवास ग्राम-चंदाघासी, थाना-जगरनाथपुर जिला राँची द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71"A" के अंतर्गत जमीन वापसी हेतु यह वाद दायर किया गया है। प्रथम पक्ष गण ने आरोप लगाया है कि उनकी निम्नांकित जमीन द्वितीय पक्ष गण (1) दिनेश मोहन्ती (2) सुरेश मोहन्ती (3) दिपक मोहन्ती (4) बिमला कुमारी सभी के पिता स्व. सुरेन्द्र नाथ मोहन्ती, सभी निवास ग्राम-नीचे हटिया मोहन्ती बाडी, थाना-जगरनाथपुर, जिला-राँची द्वारा छल प्रपंच से हड़पकर दखल कर लिया है।

जमीन का विवरण

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
हटिया	248	52	1274	49 डी०

प्रथम पक्ष ने अपने आवेदन एवं शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि प्रश्नगत जमीन रिवीजनल सर्वे खतियान मे जगरनाथ उराँव वल्द झीरगा उराँव कौम उराँव शाकीन देह के नाम दर्ज है।

क्र०पृ०उल्टे

Sd/- 28/10/22

प्रथम पक्ष गण अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। द्वितीय पक्ष गण ने उपायुक्त से अनुमति प्राप्त किये बिना ही छल प्रपंच से जबरन जमीन पर कब्जा कर प्रथम पक्षगण को बेदखल कर दिया है।

इसी को आधार मानते हुए कारण पृच्छा प्रस्तुत करने हेतु उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया, तथा संबंधित अंचल अधिकारी से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

प्रथम पक्ष ने अपने लिखित ब्यान में कहा है कि उपरोक्त भूमि रिवीजनल सर्वे खतियान मे जगरनाथ उराँव वल्द झीरगा उराँव के नाम से दर्ज और पंजी–II में मानु उराँव के नाम जमाबंदी दर्ज है। खतियानी रैयत जगरनाथ उराँव अपने पीछे एकमात्र पुत्र मानु उराँव को छोड गये। मानु उराँव भी पुत्र खुदरा उराँव को छोड गये। खुदरा उराँव अपनी मृत्यु के पश्चात आवेदकगण मानु उराँव वो जगरनाथ उराँव को छोड गये। आवेदकगण के पिता ग्राम चंदाघासी में रहने लगे। उक्त भूमि की देखरेख करने हेतु विपक्षीगण के पिता सुरेन्द्रनाथ मोहन्ती को दिये थे। विपक्षीगण के पिता गलत ढंग से दखल कब्जा करते हुए अपने नाम से पंजी–II में नाम चढाकर लगान रसीद प्राप्त लिया। द्वितीय पक्ष के नाम से पंजी–II में जमाबंदी आधार दर्ज नहीं है। तथा कुछ शेष भूमि पर अवैध रूप से दखलकार है। हटाने पर अपने नाम से जमीन की बात अवगत कराते है।

द्वितीय पक्ष गण ने अपने लिखित ब्यान मे कहा है कि विवादित भूमि वाली स्थल पर दो प्लॉट है, जिसमें मौजा हटिया के खाता सं.–52 के प्लॉट सं.–1273 रकवा–20 डीसमिल एवं प्लॉट सं.–1274 रकवा–49 डिसमिल, कुल रकवा–69 डिसमिल पर का मामला है। आवेदकगण ने अपने आवेदन पर दीपक मोहन्ती पर केस किया है, दीपक मोहन्ती का सुरेन्द्र नाथ मोहन्ती के साथ कोई संबंध नहीं है। दिनेश मोहन्ती के स्थान पर दिनेश कुमार और सुरेश मोहन्ती का वास्तविक नाम सुरेश चन्द्र महतो है। विवादित भूमि के संबंध में मुंसिफ के न्यायालय में T.S. No-863/1962 की वर्णन है, जिसका समझौता 27.11.1962/12.12.1962 को हुआ था। द्वितीय पक्षगण उक्त भूमि पर 1986–87 से मकान का होल्डिंग टैक्स एवं बिजली बिल भुगतान करते आ रहे है।

क्र०पृ०उल्टे

अंचल अधिकारी, नामकोम के पत्रांक 552(ii) दिनांक 12.06.2020 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत जमीन मौजा हटिया, थाना नं॰ 248 खाता नं॰ 52 प्लॉट सं॰–1273, 1274 रकवा क्रमशः 20 डी॰, 49 डी॰ कुल रकवा 69 डी॰ भूमि के संबंध में संबधित राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक द्वारा जाँच के प्रतिवेदनानुसार उक्त भूमि की खतियान में जगरनाथ उराँव वल्द झिरगा उराँव के नाम से दर्ज है। पंजी II के अनुसार पृष्ट सं॰ 2/101 में सुरेन्द्र नाथ मोहन्ती पिता हातो राम महन्ती के नाम से दर्ज है। पंजी II में जमाबंदी का आधार दर्ज नहीं है। विवादित भूमि पर चाहरदिवारी का निर्माण एवं एक पुरानी मकान निर्मित है। पुनः अंचल अधिकारी, नामकोम के पत्रांक 1837(ii) दिनांक 14.09.2022 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत जमीन मौजा हटिया थाना नं॰ 248 खाता नं॰ 52 प्लॉट सं॰–1273, 1274 रकवा क्रमशः 20 डी॰, 49 डी॰ की पंजी II में जमाबंदी का आधार दर्ज नहीं है। साथ ही पंजी II में भाग सं॰ 1 पेज सं॰ 57 में मानु उरांव के नाम से भी खाता 52 प्लॉट सं॰–1273 रकवा क्रमशः 20 डी॰ जमाबंदी दर्ज है। अंचल अमीन नामकोम ने लिखित प्रतिवेदन कहा है कि सन् 1932–33 का सर्वे नक्शा से मिलान करके नापी किया एवं निशान लगा दिया। नापी के दौरान पाया कि उक्त भूमि पर जगदीश मोहन्ती वगैरह का मकान कुआं, बारी रकवा रकवा 49 डीसमिल मध्ये रकवा 16 डीसमिल भूमि पर निर्माण किया हुआ है। शेष भूमि 33 डीसमिल जमीन परती है एवं वर्तमान में घास और झाड़ी से भरा हुआ। जाँच के क्रम में जगदीश मोहन्ती वगैरह से कागजात की माँग किया गया। परन्तु उनके द्वारा किसी प्रकार का वैध कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया।

अतः उपलब्ध साक्ष्य एवं जाँच प्रतिवेदन के आधार पर वाद को आदेश पर रखा गया।

प्रथम पक्षगण के आवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि प्रश्नगत जमीन खतियान में आदिवासी रैयत के नाम कायमी दर्ज है। द्वितीय पक्षगण छोटानागपूर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के प्रावधानो का उल्लंघन कर प्रश्नगत जमीन पर दखलकार है। आदिवासी रैयत की जमीन गैर आदिवासी को अहस्तान्तरणीय है।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त तथ्यों से यह निर्विवाद है कि प्रश्नगत जमीन खतियान में आदवासी रैयत के नाम दर्ज है। द्वितीय पक्ष आदिवासी रैयत की खतियानी कायमी जमीन पर बिना किसी आधार एवं वैध कागजात वो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 का उल्लंघन कर नाजायज एवं गैरकानुनी रुप से दखलकार है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71"A" के अंतर्गत प्रश्नगत जमीन से द्वितीय पक्ष गण को बेदखल करते हुए प्रथम पक्षगण को वापस किया जाता है, तथा द्वितीय पक्ष गण को आदेश दिया जाता है कि यदि प्रश्नगत भूमि पर कोई संरचना हो तो तीन माह के अंदर हटा लें।

तदनुसार अंचल अधिकारी, नामकोम को दखल देहानी हेतु आदेश निर्गत करें कि यदि प्रश्नगत भूमि पर कोई संरचना निर्मित हो तो उसे हटाने हेतु प्रावधानुसार द्वितीय पक्षगण को पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए प्रथम पक्षगण सहित खतियानी रैयतो के वैध वंशजो को दखल दिलाना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

(ह०) 28-10-22
विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

(ह०) 28-10-22
विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

ज्ञापांक — 2150(?) दिनांक — 16/12/22

प्रतिलिपि :— अंचल अधिकारी, नामकुम को प्राप्त आदेश के आलोक में दखल देहानी की कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह०) 15/11/22
वि० वि० प०,
राँची।

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	अभिलेख उपस्थापित। प्रकरण में आदेश दिनांक 28/10/22 में वाद को खारिज कर उक्त की कार्यवाही अंत सी०आर०ओ० द्वारा अमल करा दिया गया है। किन्तु अभिलेख में आवेदन [illegible] [illegible] को भी आवेदन किया गया है कि उनका [illegible] नाम सी०आर०ओ० द्वारा अमल नहीं [illegible] रद्द किया गया है। [illegible] आवेदन के [illegible] आवेदन के [illegible] नाम रद्द करने [illegible] है। आदेश [illegible] [illegible] [illegible] द्वारा रद्द हो गया है। [illegible] किया जाता है। अतः पारित आदेश में आवेदक का दिया गया नाम रद्द करने [illegible] जाये।	
	[illegible] अंचल अधिकारी [illegible]	

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2024.12.07 17:26:36 +05:30
Location: 192.168.51.39